"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेपण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2010—कार्तिक 4, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक 11872/डी. 226/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-10-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

प्रथम अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की प्रथम अनुसूची के मद-पांच के उपमद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क)	ऐसे मालयान जिसका सकल यान भार 3,500 कि. ग्राम से अधिक है सकलयान भार के प्रत्येक 500 किलो ग्राम या उसके भाग के लिये.	रुपये 85/- प्रति तिमाही"

द्वितीय अनुसूची का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के मद-1, 2 और 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

1.	किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलें.	यान की कीमत का 05 प्रतिशत.
2.	किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें—	
	(क) जिनकी कीमत 05 लाख से अधिक नहीं है.	यान की कीमत का 06 प्रतिशत.
	(ख.) जिनकी कीमत 05 लाख से अधिक है.	यान की कीमत का 07 प्रतिशत.
5.	निजी उपयोग के लिये ओमनी बस जिसके बैठने की क्षमता 06 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर) 12 यात्रियों तक हो.	यान की कीमत का 07 प्रतिशत.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक 1187-डी 226/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 26 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 26 of 2010)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ACT, 2008

An Act further to amend the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-nineth year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint.

Amendment of the First Schedule.

2. In the First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), (hereinafter referred to as The Principal Act), for sub-item (a) of item-v, the following sub-item shall be substituted, namely ;—

(a)	Goods Carriages, whose gross vehicle weight is above 3,500 Kgs.- "For each 500 Kgs of the gross weight or part thereof.	Rs. 85/- Per Quarter".

Amendment of the Second Schedule.

3. In the Second Schedule of the Principal Act, for item 1, 2 and 5 the following shall be substituted, namely ;—

1.	Motorcycles with or without attachment of any unladon weight.	05% of the cost of vehicle.
2.	Motor cars of any inladen weight-	
	(a) Cost of which does not exceed rupees five lacs.	06% of the cost of vehicle.
	(b) Cost of which exceeds rupees five lacs.	07% of the cost of vehicle.
5.	Omni bus registered for private use having seating capacity exceeding 06 and up to 12 (excluding driver).	07% of the cost of vehicle.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.